31/5/18

प्रार्थी का अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्रार्थी कोई फर्जी सर्टिफिकेट पेश हुआ। प्रार्थी का अवलोकन तथा आवेदन की जांच के दौरान उपयुक्त विधुत विवरण तथा अन्य सामग्री के से सर्टिफिकेट का अवलोकन नहीं किया गया। प्रकरण राशि से सम्बन्धित है। अतः सक्षम न्यायालय के द्वारा कोर्ट के समक्ष आई तारीख प्रस्तुत का उल्लेख किया जाता है। प्रार्थी के फर्जी सुधार किया जाकर नकल पेश करे है।

NAD 18/5/18

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक दण्डनायक
साँभर लेक (जयपुर)

Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner